

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर

90 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020

तारीख दायरा

11.12.2020

मुरारी लाल शर्मा

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

01.10.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

बनाम

..... प्रार्थी

1-श्री चौधरी सिन्धी पुत्र श्री सत्यनारायण सिन्धी निवासी गली नं0 2 सिन्धी कॉलोनी निवाई  
जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स केशव जनरल स्टोर गली नं0 2 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला  
टोंक

2- मैसर्स केशव जनरल स्टोर गली नं0 2 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26  
(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

..... अप्रार्थी

उपस्थित-

1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2-अप्रार्थी उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 01.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
दिनांक 15.09.2020 को समय 1.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मैसर्स केशव जनरल स्टोर  
गली नं0 2 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री चौधरी  
सिन्धी पुत्र श्री सत्यनारायण सिन्धी निवासी गली नं0 2 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक  
एफ.बी.ओ. मैसर्स केशव जनरल स्टोर गली नं0 2 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक खाद्य  
पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र  
दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं  
मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे  
शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी(किस-मी टॉफी पंकज ब्राण्ड)जिसके बैच नं0 53 पी एवं पैकिंग की  
दिनांक मई 2020 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने  
पर विक्रेता श्री चौधरी सिन्धी को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना को



हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता चौधरी सिन्धी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तरदीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैंक में 10 मूल पैक /जार पैकड अवस्था में प्रत्येक 300-300 नग पैक शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी(किस-मी टॉफी पंकज ब्राण्ड)रखे हुये में से 4 मूल पैक/जार प्रत्येक 300-300 नग पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री चौधरी सिन्धी को रू0 400/-अक्षर चार सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तरदीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी(किस-मी टॉफी पंकज ब्राण्ड) 4 मूल पैक/जार प्रत्येक 300-300 नग पैक को ज्यो का त्यो एक-एक पैकेट/जार के बराबर-बराबर चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2604 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2604 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता चौधरी सिन्धी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3546 दिनांक 12.10.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1270/एक्ट/2020/1357 दिनांक 29.09.2020 अनुसार चौधरी सिन्धी से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी(किस-मी टॉफी पंकज ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी(किस-मी टॉफी पंकज ब्राण्ड)का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका

जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस शुगर बॉयलड कन्फैक्शनरी(किस-मी टॉफी पंकज ब्राण्ड)का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया शुगर बॉयलड कन्फैक्शनरी(किस-मी टॉफी पंकज ब्राण्ड)का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री चौधरी सिन्धी पुत्र श्री सत्यनारायण सिन्धी निवासी गली नं0 2 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स केशव जनरल स्टोर गली नं0 2 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



01-10-2021  
(सुरारी लाल शर्मा)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0